भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 893

जिसका उत्तर मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थिति

893. श्री एस कल्याणसुन्दरम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से तमिलनाडु राज्य के लिए जिलावार लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत ऋणों की राशि कितनी-कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अधिकांश बैंक और बैंकर आम लोगों को मुद्रा ऋण देने से इंकार करते हैं, यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)का शुभारंभ दिनांक 08.04.2015 को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार मुद्रा ऋण सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिन्होंने तरूण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में अप्रैल, 2019 से पीएमएमवाई के अंतर्गत 2.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 3.21 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। संगत अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के जिला-वार आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) पीएमएमवाई के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का निवारण संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) में प्राप्त शिकायतों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारी का नाम शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे शिकायतकर्ता कोई शिकायत होने पर संपर्क कर सकता है। यदि शाखा स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो इसे बैंक के भीतर शिकायत निवारण के अगले उच्च स्तर के प्राधिकारी तक पहुंचा दिया जाता है और 30 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर दे दिया जाता है। शिकायतकर्ता शाखा में प्रदर्शित पते पर क्षेत्रीय/आंचलिक प्रबंधक/प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) से भी संपर्क कर सकता है।

ग्राहक की सुविधा के लिए जन समर्थ जैसे केंद्रीय पोर्टल विकसित किए गए हैं, जहां ऋण के लिए ग्राहक सीधे आवेदन कर सकते हैं और बैंकों को आवेदन की अस्वीकृति के कारण देने होगें।

*****

दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 893			
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - तमिलनाडु के लिए जिलावार आंकड़े			
क्रम संख्या	**राज्य/जिला**	**संचयी (अप्रैल 2019 से जून 2024 तक)**	
	तमिलनाडु	**ऋण खातों की संख्या**	**स्वीकृत राशि** (राशि करोड़ रुपये में)
1	अरियालुर	3,17,571	1,607.95
2	चेंगलपेट	2,41,424	1,897.91
3	चेन्नई	15,13,491	12,979.12
4	कोयम्बटूर	11,70,843	8,798.64
5	कुड्डालोर	13,83,363	7,048.50
6	धर्मपुरी	3,89,147	3,032.49
7	डिंडीगुल	7,34,086	4,208.85
8	इरोड	7,22,555	4,617.52
9	कल्लाकुरिची	1,99,751	1,379.91
10	कांचीपुरम	11,46,442	7,673.81
11	कन्याकुमारी	6,08,912	4,326.99
12	करूर	1,81,709	1,308.70
13	कृष्णागिरी	4,03,583	3,783.92
14	मदुरै	10,48,358	6,663.77
15	मयिलादुथुराई	83,586	552.97
16	नागपट्टनम	7,68,419	3,836.47
17	नमक्कल	4,89,611	3,660.15
18	नीलगिरी	2,81,632	1,613.14
19	पेरम्बलुर	1,34,436	980.82
20	पुदुकोट्टई	4,92,219	2,760.84
21	रामनाथपुरम	4,86,099	2,545.38
22	रानीपेट	1,10,516	747.67
23	सेलम	9,24,228	6,697.00
24	शिवगंगा	5,07,950	2,956.63
25	तेनकासी	1,32,964	839.24
26	तंजावुर	10,14,635	5,551.39
27	थेनी	4,55,048	2,611.76
28	तिरुवल्लुर	9,21,151	6,623.97
29	तिरुवरूर	7,53,102	3,604.59
30	तुतुकुडी	5,81,958	3,422.65
31	तिरुचिरापल्ली	14,92,598	10,770.29
32	तिरुनेलवेली	9,25,413	5,191.86
33	तिरुपत्तूर	1,55,407	1,028.86
34	तिरुपुर	6,00,076	4,174.60
35	तिरुवन्नामलाई	7,80,613	4,757.85
36	वेल्लोर	10,29,110	5,837.70
37	विलुप्पुरम	9,53,093	5,047.72
38	विरुधुनगर	5,74,260	3,428.02
39	अन्य #	73,91,662	46,748.01
	कुल	**3,21,01,021**	**2,05,317.66**

कुछ एनबीएफसी/एमएफआई के जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार